

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर

क्रमांक : लेखा/आं.जां./विविध/2019/ 1406

दिनांक : 27-06-2019

1. समस्त जोन कार्यालय,
2. समस्त मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी,
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
4. समस्त सैटेलाईट जिला अस्पताल,
5. समस्त जिला कुष्ठ अधिकारी,
6. समस्त औषधि नियन्त्रक अधिकारी,
7. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी,
8. समस्त ब्लॉक मु0 चि0 अधिकारी,
9. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

विषय-आन्तरिक जांच के बकाया प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं उक्त को निरस्त करने हेतु लगवाये जाने वाले कैम्प की तिथि निर्धारित कर मुख्यालय को अवगत करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आन्तरिक जांच के बकाया प्रतिवेदनों के लम्बित आक्षेपों की स्थिति अत्यन्त गंभीर है एवं सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा लम्बित आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना प्रेषित करने में कौताही बरती जा रही है। अतः मुख्यालय को सम्बन्धित समस्त कार्यालयों में आदिनांक तक आन्तरिक जांच के लम्बित प्रतिवेदन एवं लम्बित आक्षेपों के सम्बन्ध में वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु सूचना निम्नांकित प्रपत्र में प्रेषित करावें :-

क्र सं.	प्रतिवेदन अवधि	कुल आक्षेप	प्रक्रिया सहित आक्षेपों की संख्या	वित्तीय अनियमितता सम्बन्धित आक्षेपों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.					

साथ ही सम्बन्धित कार्यालय में उक्त आक्षेपों को निरस्त करने हेतु लगवाये जाने वाले कैम्प की तिथि से भी मुख्यालय को अवगत करावें, ताकि तदनुसार कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर पर कैम्प आयोजित कर बकाया आक्षेपों के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।

प्रतिलिपि :-

प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।



वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर